## अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ALL INDIA INSTIUTE OF MEDICAL SCIENCES [भर्ती प्रकोष्ठ/ RECRUITMENT CELL]

फ.सं.2-29/2024-स्था.(भर्ती) F. No. 2-29/2024-Estt. (RCT) अंसारी नगर, नई दिल्ली-29 Ansari Nagar, New Delhi-29 दिनांक/Date: 0 1 DEC 2025

## कार्यालयं आदेश/OFFICE ORDER

विषय:- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली मे परिचर्या अधीक्षक के पद पर पदोन्नति । Subject: - Promotion to the post of Nursing Superintendent at the AIIMS, New Delhi.

\*\*\*\*\*

दिनांक 07.05.2025 को परिचर्या अधीक्षक के पद हेतु विभागीय पदोन्नित समिति की मीटिंग की सिफ़ारिश के परिणामस्वरूप और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अनुसार, सुश्री गीता साजी (कुमारी के), उप परिचर्या अधीक्षक को वेतन मैट्रिक्स के लेवल -11 के अंतर्गत परिचर्या अधीक्षक के पद पर उनके डॉ॰ आर पी सी में पदभार ग्रहण करने की तारीख से पदोन्नत किया जाता है।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee for the post of Nursing Superintendent held on 07.05.2025 and its acceptance by the Competent Authority, Ms. Geeta Shaji (Kumari K), Deputy Nursing Superintendent is promoted to the post of Nursing Superintendent in Level- 11 of the Pay Matrix from the date she assumes the charge of the post at Dr. RPC.

2. उनकी वरिष्ठता परिचर्या अधीक्षक के पद पर जोकि रिक्ति की तिथी से प्रभावी होगी अर्थात 01-12-2025

Her seniority in the post of Nursing Superintendent will be effective from the date of availability of vacancy i.e 01.12.2025.

3. वे दिल्ली/नई दिल्ली/एन.डी.डी.टी.सी.,गाजियाबाद/ एन.सी.आई झज्जर हरियाणा और वर्तमान में बल्लभगढ़ में स्थित रुरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में उनके स्तर के कार्यरत कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगीं।

She will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of her status stationed at Delhi/New Delhi/ NDDTC, Ghaziabad/Outreach OPD, Jhajjar/NCI Jhajjar, Haryana and in the rural center presently located at Ballabhgarh (Haryana) and at any other Centre opened by the Institute in future, from the date she assume the charge of the post.

4. उन्हे यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस पत्र के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ.आर.22 (I) यदि लागू हो के अंतर्गत वास्तविक पदोन्नति की तारीख़ अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तारीख़ से तय करने का विकल्प चुने बशर्ते उन्हें असंशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना के अंतर्गत वेतन पे मैट्रिक्स लेवल -11 (पूर्व संशोधित पी. बी. -3-15600-39100+6600 ग्रेड पे) प्रदान नहीं किया जाएगा।

She is advised to exercise her option for fixation of their pay under FR-22(I) if applicable either from the date of her actual promotion to the post or from the date of drawl of her next increment in the present post within one month from the date of issue of this Office Order, provided she has not been granted Level-11 in the pay Matrix (pre-revised PB- 3-15600-39100+6600 Grade pay) under ACP/MACP Scheme.

5. यह कार्यालय आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित एस. एल. पी. (सी) नंबर 30621/2011 और अन्य जुडे मामलों के परिणाम या इस संबंध में डी. ओ. पी. टी. से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

Contd.. on page no. 2/-

This office order would be subject to outcome of the SLP (C) 30621/2011 and other connecting matter pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

6. वे दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगें। परिवीक्षा अवधि के दौरान उन्हें संतोषजनक सेवाएं प्रदान करना अपेक्षित है जिसमें असफल रहने पर उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कोई नोटिस दिए अथवा बिना कोई कारण बताए प्रत्यावर्तित कर दी जाएगी।

She will be on probation for a period of two years. During the period of probation, she will be required to put in satisfactory service failing which her service will be liable to be reverted at any time without any notice or reason being assigned for the same.

7. उनकी सेवा की अन्य शर्ते जोकि संस्थान के कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू हैं, पूर्वानुसार ही रहेंगी।

Other terms and condition of their service will be the same as are applicable to other employees of the Institute.

सी. जी. सत्यन/C.G. Sathyan] सहायक प्रशासनिक अधिकारी / Asstt.Administrative Officer

Ms. Geeta Shaji (Kumari K), DNS, CTC Through: Administrative Officer-CNC Copy to:-

- 1) Chief-CTC & Dr. RPC
- 2) Chief Nursing Officer- Hospital
- 3) Administrative Officer- CNC & Dr. RPC
- 4) Account Section-CNC & Dr. RPC
- 5) General Section / Estate Section/Legal Cell / GPF Section / Vigilance Cell/ACR's Cell/SC/ST Cell
- 6) Professor-in -charge Computer Facility Kindly upload this office order at the institute's website.
- 7) Guard file